बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–02/CMT–16/2014, परि0 7673 **पटना, दिनांक–** 16/10/19

इस विभाग की अधिसूचना संख्या–परि0 (4) 1351, दिनांक–06.06.1990 द्वारा कतिपय निदेश निर्गत किये गये हैं एवं इसी क्रम में निर्गत पत्रांक–4049, दिनांक–01.03.1991 के अनुसार सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए अलग–अलग वर्णाक्षर निर्गत किये जाने का निदेश के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत है।

उपरोक्त द्वारा मालवाहकों एवं बड़ी सवारी गाड़ियों को ''G'' सिरीज में ही निबंधित किया जाने का निदेश निर्गत है। इसी प्रकार 06 से अधिक बैठान क्षमता वाली सार्वजनिक वाहन एवं निजी वाहन को ''P'' सिरीज में निबंधित करने का निदेश निर्गत है एवं अन्य निजी एवं दो पहिया वाहनों के लिए अन्य वर्णाक्षरों से सिरीज आवंटित किये जाने का निदेश है।

इस विभाग के अधिसूचना संख्या–6581, दिनांक–06.09.2019 द्वारा Fancy Number एवं मनपसंद नंबरों को e-Auction के जरिये निलाम किये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि पारदर्शी तरिके से इन नम्बरों का आवंटन किया जा सके। उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत गैर–परिवहन एवं परिवहन वाहनों के लिए अलग–अलग आधार शुल्क निर्धारित है। उपरोक्त के समीक्षा के क्रम में ''P'' सिरीज में गैर–परिवहन एवं परिवहन वाहनों दोनों का निबंधन होने के कारण इसके क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है।

उपरोक्त पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ''P'' सिरीज सिर्फ परिवहन वाहनों को ही आवंटित किया जाय। छः एवं उससे अधिक बैठान क्षमता वाले गैर–परिवहन वाहनों को भी अन्य गैर–परिवहन वाहनों हेतु आवंटित अन्य वर्णाक्षरों के सिरीज से ही निबंधन किया जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में **परिवहन वाहनों** का ही निबंधन ''P'' सिरीज में किया जाय।

15/10

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/CMT–16/2014, परि0 7673 पटना, दिनांक– 16/10/19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचना एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

15/10

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/CMT–16/2014, परि0 7673 पटना, दिनांक– 16/10/19

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/CMT–16/2014, परि0 7673 पटना, दिनांक– 16/10/19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10

ह0/–

सरकार के सचिव

E:\RAJESH SEC-02\STC Letter.docx

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–02 / CMT–16 / 2014, परि0 7673 पटना, दिनांक– 16/10/19

इस विभाग की अधिसूचना संख्या–परि0 (4) 1351, दिनांक–06.06.1990 द्वारा कतिपय निदेश निर्गत किये गये हैं एवं इसी क्रम में निर्गत पत्रांक–4049, दिनांक–01.03.1991 के अनुसार सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए अलग–अलग वर्णाक्षर निर्गत किये जाने का निदेश के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत है।

उपरोक्त द्वारा मालवाहकों एवं बड़ी सवारी गाड़ियों को ''G'' सिरीज में ही निबंधित किया जाने का निदेश निर्गत है। इसी प्रकार 06 से अधिक बैठान क्षमता वाली सार्वजनिक वाहन एवं निजी वाहन को ''P'' सिरीज में निबंधित करने का निदेश निर्गत है एवं अन्य निजी एवं दो पहिया वाहनों के लिए अन्य वर्णाक्षरों से सिरीज आवंटित किये जाने का निदेश है।

इस विभाग के अधिसूचना संख्या–6581, दिनांक–06.09.2019 द्वारा Fancy Number एवं मनपसंद नंबरों को e-Auction के जरिये निलाम किये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि पारदर्शी तरिके से इन नम्बरों का आवंटन किया जा सके। उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत गैर–परिवहन एवं परिवहन वाहनों के लिए अलग–अलग आधार शुल्क निर्धारित है। उपरोक्त के समीक्षा के क्रम में ''P'' सिरीज में गैर–परिवहन एवं परिवहन वाहनों दोनों का निबंधन होने के कारण इसके क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है।

उपरोक्त पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ''P'' सिरीज सिर्फ परिवहन वाहनों को ही आवंटित किया जाय। छः एवं उससे अधिक बैठान क्षमता वाले गैर–परिवहन वाहनों को भी अन्य गैर–परिवहन वाहनों हेतु आवंटित अन्य वर्णाक्षरों के सिरीज से ही निबंधन किया जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में **परिवहन वाहनों** का ही निबंधन ''P'' सिरीज में किया जाय।

ह0 / –
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02 / CMT–16 / 2014, परि0 7673 पटना, दिनांक– 16/10/19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचना एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

15/10

सरकार के सचिव

E:\RAJESH SEC-02\STC Letter.docx

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–02/CMT–16/2014, परि0 7673 पटना, दिनांक– 16/10/19

इस विभाग की अधिसूचना संख्या–परि0 (4) 1351, दिनांक–06.06.1990 द्वारा कतिपय निदेश निर्गत किये गये हैं एवं इसी क्रम में निर्गत पत्रांक–4049, दिनांक–01.03.1991 के अनुसार सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए अलग–अलग वर्णाक्षर निर्गत किये जाने का निदेश के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत है।

उपरोक्त द्वारा मालवाहकों एवं बड़ी सवारी गाड़ियों को ''G'' सिरीज में ही निबंधित किया जाने का निदेश निर्गत है। इसी प्रकार 06 से अधिक बैठान क्षमता वाली सार्वजनिक वाहन एवं निजी वाहन को ''P'' सिरीज में निबंधित करने का निदेश निर्गत है एवं अन्य निजी एवं दो पहिया वाहनों के लिए अन्य वर्णाक्षरों से सिरीज आवंटित किये जाने का निदेश है।

इस विभाग के अधिसूचना संख्या–6581, दिनांक–06.09.2019 द्वारा Fancy Number एवं मनपसंद नंबरों को e-Auction के जरिये निलाम किये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि पारदर्शी तरिके से इन नम्बरों का आवंटन किया जा सके। उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत गैर–परिवहन एवं परिवहन वाहनों के लिए अलग–अलग आधार शुल्क निर्धारित है। उपरोक्त के समीक्षा के क्रम में ''P'' सिरीज में गैर–परिवहन एवं परिवहन वाहनों दोनों का निबंधन होने के कारण इसके क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है।

उपरोक्त पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ''P'' सिरीज सिर्फ परिवहन वाहनों को ही आवंटित किया जाय। छः एवं उससे अधिक बैठान क्षमता वाले गैर–परिवहन वाहनों को भी अन्य गैर–परिवहन वाहनों हेतु आवंटित अन्य वर्णाक्षरों के **सिरीज से ही** निबंधन किया जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में **परिवहन वाहनों** का ही निबंधन ''P'' सिरीज में किया जाय।

ह0/–
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/CMT–16/2014, परि0 7673 पटना, दिनांक– 16/10/19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचना एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/CMT–16/2014, परि0 7673 पटना, दिनांक– 16/10/19

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10

सरकार के सचिव

E:\RAJESH SEC-02\STC Letter.docx

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–02/CMT–16/2014, परि0 7673 पटना, दिनांक– 16/10/19

इस विभाग की अधिसूचना संख्या-परि0 (4) 1351, दिनांक–06.06.1990 द्वारा कतिपय निदेश निर्गत किये गये हैं एवं इसी क्रम में निर्गत पत्रांक–4049, दिनांक–01.03.1991 के अनुसार सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए अलग–अलग वर्णाक्षर निर्गत किये जाने का निदेश के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत है।

उपरोक्त द्वारा मालवाहकों एवं बड़ी सवारी गाड़ियों को "G" सिरीज में ही निबंधित किया जाने का निदेश निर्गत है। इसी प्रकार 06 से अधिक बैठान क्षमता वाली सार्वजनिक वाहन एवं निजी वाहन को "P" सिरीज में निबंधित करने का निदेश निर्गत है एवं अन्य निजी एवं दो पहिया वाहनों के लिए अन्य वर्णाक्षरों से सिरीज आवंटित किये जाने का निदेश है।

इस विभाग के अधिसूचना संख्या–6581, दिनांक–06.09.2019 द्वारा Fancy Number एवं मनपसंद नंबरों को e-Auction के जरिये निलाम किये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि पारदर्शी तरिके से इन नम्बरों का आवंटन किया जा सके। उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत गैर–परिवहन एवं परिवहन वाहनों के लिए अलग–अलग आधार शुल्क निर्धारित है। उपरोक्त के समीक्षा के क्रम में "P" सिरीज में गैर–परिवहन एवं परिवहन वाहनों दोनों का निबंधन होने के कारण इसके क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है।

उपरोक्त पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "P" सिरीज सिर्फ परिवहन वाहनों को ही आवंटित किया जाय। छः एवं उससे अधिक बैठान क्षमता वाले गैर–परिवहन वाहनों को भी अन्य गैर–परिवहन वाहनों हेतु आवंटित अन्य वर्णाक्षरों के सिरीज से ही निबंधन किया जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में **परिवहन वाहनों** का ही निबंधन "P" सिरीज में किया जाय।

ह0/–
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/CMT–16/2014, परि0 7673 पटना, दिनांक– 16/10/19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचना एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/CMT–16/2014, परि0 7673 पटना, दिनांक– 16/10/19

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/CMT–16/2014, परि0 7673 पटना, दिनांक– 16/10/19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

15/10
सरकार के सचिव

E:\RAJESH SEC-02\STC Letter.docx